


21/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वरि  
अथवा वादीगम की ओर से  
कोई धारिष्ठ नहीं है। न्यायालय  
परिसर के बाहर बार-बार-  
आवाज कावाई गई। बावजूद  
आवाज के भी कोई धारिष्ठ  
नहीं आया है। फीर होव है कि  
वशि अपने घाट के प्रति उदासीन  
है तथा वास्तव को चलाना नहीं  
चाहता। अतः वादीगम का धारिष्ठ  
किस 'हाजरी' कसक पैरवी के खारिज  
किया जाता है। पत्रावली के सल  
भुमार होकर मम्बर से कर ली।  
दरिजल दफतर है।

  
सहायक कलक्टर  
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

